https://doi.org/10.31995/jgv.2025.v16iSI005.020

भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका एवं विकास

अल्पना सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
आर0 बी0 डी0 महिला महाविद्यालय, बिजनौर (उ0प्र0)
ईमेलः alpanasingh477@gmail.com

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 26.04.2025
Approved: 27.05.2025

अल्पना सिंह

भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका एवं विकास

Vol. XVI, Sp.2Issue May2 2025
Article No.20, Pg. 157-162

Online available at
https://anubooks.com/special-issues?url=jgv-si-2-rbd-college-bijnore-may-25

DOI: *https://doi.org/10.31995/jgv.2025.v16iSI005.020*

सारांश

प्रत्येक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल समाज में व्याप्त विभिन्न विचारधाराओं को व्यक्त करने वाले संस्था के रूप में काम करते हैं। राजनीतिक दल सरकार एवं शासन व्यवस्था में समाज के विभिन्न विचारधाराओं एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत एक बहुदलीय प्रणाली का अनुसरण करने वाला राजनीतिक व्यवस्था है। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ यह हुआ कि यहां क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल कार्य करते हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से हम भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विकास एवं भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक दल ऐसे संगठन होते हैं, जो समान विचारधारा एवं समान राजनीतिक हितों के आधार पर एकत्रित होते हैं और कार्य करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सत्ता में साझेदारी करना एवं क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करना होता है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी राजनीतिक दल सरकार को उनकी नीतियां बनाने में समर्थन एवं समय–समय पर सरकारी कार्यों एवं नीतियों पर नियंत्रण का कार्य भी करते हैं।

मुख्य बिंदु

क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय दल, संघात्मक प्रणाली, लोकतंत्र, विविधता, संसदीय प्रणाली, स्वायत्तता, राजनीतिक दल।

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of JGV.*

अल्पना सिंह

भारतीय लोकतांत्रिक स्वरूप में क्षेत्रीय दल एक अभिन्न अंग है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का सतत विकास और उनकी भूमिका एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय संघात्मक प्रणाली में उनकी भूमिका का बढ़ना अत्यंत सराहनीय है। परंतु दूसरे दृष्टिकोण से इनके स्वार्थ का समावेश सोचनीय भी है।इस शोध पत्र में विभिन्न सूचको जैसे दलों का क्रमिक विकास, शिक्षा, सामाजिक मानक, राजनीतिक स्थिरता, एवं औद्योगिक विकास पर क्षेत्रीय दलों की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। क्षेत्रीय दल लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जनता की जागरूकता को विकसित करने में किस सीमा तक सफल रहे हैं जैसे बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। भारत में कुल तीन प्रकार के राजनीतिक दल हैं।

- पंजीकृत राजनीतिक दल
- क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल
- राष्ट्रीय दल

भारत में आठ राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त अधिकतर बड़े दलों को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है।

परिचय

क्षेत्रीयता को एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां क्षेत्र और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्र और राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में अधिक वरीयता दी जाती हो। इस प्रवृत्ति की सांस्कृतिक, भाषाई, नृजातीय, एवं आर्थिक विविधता की राजनीतिक अभिव्यक्ति ही क्षेत्रीय दल हैं। स्वतंत्र भारत को एक भौगोलिक ढांचा देने की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों एवं धर्मों जैसी विविधताओं का समावेश किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ग की अपनी अस्मिता को बचाए रखने की मांग थी। क्योंकि उन्हें डर था कि एक एकीकृत देश की मुख्य धारा में उनकी अस्मिता कहीं विलीन न हो जाए। इसी अस्मिता की सुरक्षा की भावनावश क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास स्वतंत्रता पश्चात ही भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास का संघात्मक पहलू भी है। किसी संघात्मक इकाई की पहचान उसकी नियामक इकाइयों से बनती है। भारत में विभिन्नताओं में एकता स्थापित करके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं–

- क्षेत्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण की प्रक्रिया में क्षेत्र आधारित प्रशासन के विकेंद्रीकरण की मांग को लेकर मुखर हुए।
- केंद्र की एकाधिकारवादी नीतियों की व्यापक प्रक्रिया से राजनीतिक लामबंदी के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म हुआ।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल संघीय और लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद है। जहां यह क्षेत्रीय दल एक तरफ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार का निर्माण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी हिस्सा लेते हैं[2]। क्षेत्रीय दलों का भारत के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभिक दौर में अनेक क्षेत्र विभिन्नता आधारित (धर्म, जाति, नस्ल, भाषा इत्यादि) राजनीति से ओतप्रोत थे, परंतु वहां के क्षेत्रीय दल राजनीति को लोक कल्याणकारी बनाने की तरफ अग्रसर हुए। परिणामस्वरुप इन क्षेत्रों ने सामाजिक मानकों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि पर काफी उन्नति की।

वर्तमान में अनेक क्षेत्रीय दलों की राजनीति स्वार्थ से ग्रसित हो गई है। इनकी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा समाप्त हो रही है। इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना और अपने निजी हितों की पूर्ति करना हो गया है। नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण समाज विघटन के कगार पर पहुंच रहा है। क्षेत्रीय दलों

https://doi.org/10.31995/jgv.2025.v16iSI005.020

को निस्वार्थ उद्देश्यों की तरफ बढ़ना होगा जिससे लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत कर उच्च सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति की जा सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत का संविधान पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारे नजरों से बार–बार गुजरती है। हमनें एकता की भावना के साथ एक ऐसे सामाजिक जीवन का निर्माण करने का निर्णय लिया जिससे इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। अर्थात कह सकते हैं कि हमने विविधता में एकता के आदर्श को हमेशा ध्यान में रखा।

सन् 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह मान लिया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा[3]। स्वतंत्रता के उपरांत स्थितियां बदली और यह भय सामने आने लगा कि यदि भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा भी बन सकता है। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं ने चुनौती दी। इस प्रकार क्षेत्रीय आंदोलन के पश्चात 1952 में प्रथम भाषा आधारित राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। परिणामस्वरुप देशभर में तमाम स्थानों पर भाषा आधारित राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। इसी क्रम में अनेक समितियां बनी और 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया[4]। आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात से भली–भांति परिचित थे कि भारतीय राष्ट्र का स्वरूप संघात्मक भले ही हो लेकिन इसकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भलीभांति पल्लवित होने का अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था है जिसमें एकात्मकता की ज्यादातर विशेषताएं मौजूद है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभी वर्ग को राजनीतिक महत्व और मंच मिल सके इसकी व्यवस्था की गई है। परिणामस्वरुप भारतीय संसदीय प्रणाली में क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आने लगे। प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी की मशीनरी ही इतनी बड़ी थी कि उसमें देश की विविध राजनीतिक और सामाजिक आकांक्षाएं जगह पा लेती थी परंतु कालांतर में ऐसा होना बंद हो गया। सन् 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के उपरांत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक शून्य सा छा गया। जिसके परिणामस्वरुप अनेक क्षेत्रीय दलों का उद्भव होने लगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एवं देश भर में तमाम राज्यों के अनेक क्षेत्रीय दल इसी राष्ट्रीय आपातकाल के बाद ही अस्तित्व में आए[5]।

बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ कुछ अलगाववादी स्वभाव भी सामने आने लगे। अलगाववादी आकांक्षाएं अत्यधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बीच के फर्क को लाघ जाना चाहती थी। ऐसे में प्रश्न था कि इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कैसे संतुष्ट किया जाए और राष्ट्र की मजबूती में कैसे इनका प्रयोग किया जाए। इनका सामना करने के लिए एक जबरदस्त संतुलन एवं उदार और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था बनाने हेतु क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र में क्षेत्रीय दल इन तमाम विविधताओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। पिछले कुछ दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। भारत में होने वाले आम चुनाव में जब राष्ट्रीय दलों को बहुमत नहीं मिलता है, तब ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। पिछले कई आम चुनाव में यह भी देखा गया है कि राष्ट्रीय दल अपेक्षित बहुमत में मिलने के कारण क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को भी मजबूर हुए

हैं। 1990 के दशक के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है[6]। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय दलों को असीमित शक्ति की संभावना नहीं रही और हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त हुई।

किसी पंजीकृत दल को चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो–

- यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में दो सीट भी प्राप्त की हो।
- यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो।
- यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का 3 प्रतिशत या तीन सीट जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो।
- यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है[7]।

इस प्रकार भारत में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। यदि कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। वर्तमान में भारत में लगभग 50 क्षेत्रीय एवं आठ राष्ट्रीय दल हैं।

क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव

क्षेत्रीय दलों का राजनीति में उपयुक्त स्थान सराहनीय है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन क्षेत्रीय दलों के माध्यम से संविधान के उद्देष्यों की पूर्ति होती है। प्रारंभ में क्षेत्रीय दलों का लक्ष्य एक प्रतिनिधित्व के रूप में था तथा इसके सार्थक उद्देश्य भी थे। कालांतर में यह दल अपनी अस्तित्व के लिए सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का समावेश करते चले गए। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल भी अपने हितों को देखते हुए तमाम उचित एवं अनुचित साधनों को अपनाने में तनिक भी संकोच नहीं करती हैं। ऐसे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय दलों के बदलते प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाए तथा उचित मापदंड के अनुसार उन्हें लोकतंत्र का आधार बनाया जाए। अध्ययन करने पर पता चलता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव दिखाई देता है। अतः हमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करना होगा।

सुषांत झा ने योजना फरवरी 2005 के अंक में क्षेत्रीय दलों के सकारात्मक प्रभाव का निम्नलिखित वर्णन किया है – उन्होंने लिखा है कि क्षेत्रीय दलों ने राजनीति को लोक कल्याणकारी बनाकर जीवन की गुणवत्ता में अत्यंत सुधार किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो 1951 में तमिलनाडु की महिला साक्षरता दर महज 10.10% थी जो की सन 2011 तक 73.44% पहुंच गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था विकसित हुई है। क्षेत्रीय दलों

https://doi.org/10.31995/jgv.2025.v16iSI005.020

के समावेश से जनता के पास अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने के अत्यधिक विकल्प होते हैं। इसके साथ ही क्योंकि यह विकल्प उनके ही आसपास या स्थानीय होते हैं जिससे वह उन्हें बेहतर समझ भी पाते हैं अतः भ्रष्ट राजनीति और नेताओं के ठग से मुक्ति के अवसर भी बढ़ जाते हैं। उदाहरणस्वरुप 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता ने एक अनुभवहीन आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट से चुनाव जितवा कर अपना विश्वास व्यक्त किया[8]।

डॉ॰ दुर्गादास बसु ने भारत का संविधान एक परिचय नामक पुस्तक में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है।

- पृथक राज्यों की मांग और गठन।
- स्वायत्तता की मांग।
- स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास।
- राज्य तथा केंद्र सरकार के मध्य संबंधों का विकृत होना।
- विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष एवं तनाव।
- अंतर्राष्ट्रीय निर्णय पर क्षेत्रीयता का प्रभाव।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के चलते भारतीय समाज पहले से अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। और अपनी सामाजिक विविधता को राजनीतिक स्तर पर प्रबंधन करने में भी सफल हो रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण ही अब भारत में क्षेत्रीय मुद्दों को भी राष्ट्रीय चुनाव में स्थान प्राप्त होने लगा है। अतः अब क्षेत्रीय मुद्दे भी आम चुनाव में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत में समाज की विविधता और बहुलता राज्यों का आधार बन गए हैं। क्षेत्रीय राजनीति ने जहां एक तरफ केंद्र सरकारकी विवादास्पद नीति पर अंकुश लगाकर संघात्मक सरकार को सृजनात्मक बनाया है वहीं दूसरी तरफ संघात्मक सरकार को काफी कमजोर भी किया है। सहयोगी दलों की आपसी खींचतान व केंद्र सरकार से अपनी स्वार्थ प्रेरित एवं व्यक्तिगत अपेक्षाओं के कारण सरकारों को नीतिगत निर्णय लेने से रोकती है। जिससे देश की सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं से जुड़े अनेक निर्णय लंबित होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने लोगों को व्यक्तिगत रूप से भारतीय राजनीति से जोड़ा है वहीं दूसरी तरफ लोगों की रुचि भी राजनीति में बढ़ी है। क्षेत्रीय दलों के कारण ही लोग अब भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका का सम्यक अवलोकन करने के पष्चात् निष्कर्ष निकलता है कि यदि निम्नलिखित सुझावों को अमल में लाया जाए तो उनकी भूमिका सकारात्मक एवं प्रभावशाली बनाई जा सकती है–

- राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अपने दायित्व का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें जनता की स्थानीय आवश्यकताओं व मांगों की बहुत देर तक उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे क्षेत्रीय दलों का उद्भव होता है।
- राजनीतिक संस्थाओं का एकीकरण रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलता है और एकता को चुनौती।

- क्षेत्रीय दलों का निर्माण क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भले ही किया जाए किंतु कालांतर में उनको राष्ट्रीय मुद्दों के साथ संगति बना लेनी चाहिए जिससे विखंडन को रोका जा सके एवं समरसता बनी रहे।
- क्षेत्रीय दल राजनीतिक मूल्यों की स्थापना को उद्देश्य बनाएं और राजनीतिक स्थिरता को अत्यधिक महत्व दें।
- क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक स्थानीय मुद्दों के निपटारे एवं विकास का कार्य करना चाहिए ताकि उनकी आस्था बनी रहे और इन्हें राजनीति में महत्व मिलता रहे।

संदर्भ

1. गुहा, आर. (2007). भारत गांधी के बाद (दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र का इतिहास) पेंगुइन पब्लिकेशन।
2. कोठारी, आर. (1970). भारत में राजनीति ओरिएंटब्लैक्स्वान पब्लिकेशन।
3. भूयान, डी. (2007). रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. बनर्जी, के. के. (1984). रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. स्टेशियस इंक पब्लिकेशन।
5. बसु, डी. डी. (2019). भारत का संविधान एक परिचय. लेक्सिसनेक्सस पब्लिकेशन नागपुर.
6. राय, बी. (2008). उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद।
7. शर्मा, डी. (2015). गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, राजनीति विज्ञान विभाग दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर।
8. झा, सुशांत. (2015). योजना, फरवरी. संघीय व्यवस्था पर क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव।